ए.

डॉ. पी. एस. मलिक बनाम

दिल्ली और ए. एन. आर. का उच्च न्यायालय (2018 की लिखित याचिका (सिविल) No.705)
अगस्त 21,2019

बी.

**[अशोक भूषण और नवीन सिन्हा, जे. जे.]**

भारत का संविधान-कला।233 और 235-याचिकाकर्ता द्वारका, नई दिल्ली में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में काम कर रहा था-याचिकाकर्ता के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक महिला कनिष्ठ न्यायिक सहायक द्वारा दायर की गई लिखित शिकायतें, जो याचिकाकर्ता की अदालत में अहलमद के रूप में काम करती थी, ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए 18.05.2015 से 18.05.2016 तक-<ID4 पर, याचिकाकर्ता को निलंबन के तहत रखा गया था-आंतरिक शिकायत समिति का गठन-उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय में प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच की जाए-पूर्ण न्यायालय ने जांच करने का संकल्प लिया-समिति द्वारा प्रस्तुत की गई दिनांक 09.03.2018 की जांच रिपोर्ट-याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान रिट याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि एक जांच रिपोर्ट है। 11 और 2013 के अधिनियम के 13 में, उच्च न्यायालय जांच शुरू करने या याचिकाकर्ता को निलंबित करने का निर्णय नहीं ले सकता था-अभिनिर्धारित किया गयाःयाचिकाकर्ता न्यायिक सेवा का सदस्य है जिसके लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण उच्च न्यायालय है-Art.235 में आने वाले "नियंत्रण" शब्द का अर्थ न केवल न्यायालयों के कामकाज का सामान्य पर्यवेक्षण है, बल्कि इसमें न्यायिक अधिकारियों का अनुशासनात्मक नियंत्रण शामिल है, यानी, जिला न्यायाधीश और उनके अधीनस्थ न्यायाधीश-उच्च न्यायालय न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर सकता है-न्यायिक अधिकारी को निलंबित करने की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित है-2013 के अधिनियम के तहत, आंतरिक शिकायत समिति के गठन के लिए शिकायत तंत्र और तंत्र, शिकायत की जांच करने का तंत्र, कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा और कल्याण की रक्षा के लिए हैं-एस. एस. के प्रावधान। 11, 13 न्यायिक अधिकारियों के संबंध में अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय के नियंत्रण को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है-उच्च न्यायालय का पूर्ण न्यायालय किसी भी तरह से याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू करने और संतुष्ट होने पर उसे निलंबित करने से नहीं रोकता है कि

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

957 ए.

958 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 12 एस. सी. आर.

पर्याप्त सामग्री मौजूद थी-पूर्ण न्यायालय के दिनांक 13.07.2016 के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं-इसके अलावा, याचिकाकर्ता का यह निवेदन कि दिनांक 05.11.2016 की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की आपूर्ति न होने के कारण, कार्यवाही को दूषित कर दिया गया है, स्वीकार नहीं किया गया है-केवल सीमित मुद्दों पर विचार किया गया है जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा दबाव डाला गया है-याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अभी भी चल रही है-याचिकाकर्ता के लिए उचित प्राधिकरण के समक्ष तथ्यों और कानून की सभी याचिकाओं को उठाने के लिए खुला है-कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013-अध्याय II, IV और V-ss।4, 11 और 13-अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 -आर. 8.

बी.

सी.

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013।11, 13 और 18-याचिकाकर्ता, दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारी के खिलाफ उसके न्यायालय में एक कर्मचारी द्वारा कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत-याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका प्रस्तुत करें अन्य बातों के साथ-साथ प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की उस प्रति को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, उसे अपील करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है-आयोजितःप्रारंभिक जांच रिपोर्ट दिनांक 05.11.2016 में याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर कोई निष्कर्ष नहीं था-इसमें केवल यह राय दी गई थी कि जांच की जानी चाहिए-यहां तक कि यू/एस।11(1) दूसरे परंतुक में, एकमात्र विचार निष्कर्षों की एक प्रति उपलब्ध कराना है-इस प्रकार, जिस रिपोर्ट में कोई निष्कर्ष नहीं हैं, पक्षकारों को प्रति प्राप्त करने का अधिकार नहीं है-एस में संदर्भित जांच रिपोर्ट।13 यह वह रिपोर्ट है जो आंतरिक शिकायत समिति द्वारा जांच पूरी होने के बाद प्रस्तुत की गई है-आंतरिक शिकायत समिति द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 09.03.2018 याचिकाकर्ता को स्वीकार्य रूप से प्रदान की गई थी-यू/एस द्वारा की गई सिफारिश के खिलाफ अपील का अधिकार।

13(2) या (3) यू/एस के तहत अपील योग्य हैं।18– इस प्रकार, एक पीड़ित व्यक्ति को अपील का अधिकार केवल तभी दिया जाता है जब यू/एस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।13 नियोक्ता को-दिनांकित 05.11.2016 रिपोर्ट की आपूर्ति न होने से याचिकाकर्ता को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ।

डी.

ई.

एफ.

**रिट याचिका खारिज करते हुए अदालत ने**

जी.

**पकड़नाः1.1 भारत के संविधान का भाग VI "राज्यों" से संबंधित है।अध्याय VI में "अधीनस्थ न्यायालय" शीर्षक शामिल है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 और 235 में दो अलग-अलग शक्तियों का उल्लेख है।पहला जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, नियुक्ति और पदोन्नति की शक्ति है और दूसरा ए पर नियंत्रण की शक्ति है।**

एच.

959

डॉ. पी. एस. मलिक बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय ए.

**राज्य के न्यायिक अधिकारी।अनुच्छेद 235 में आने वाले "नियंत्रण" शब्द का अर्थ न केवल न्यायालयों के कामकाज का सामान्य अधीक्षण है, बल्कि इसमें न्यायिक अधिकारियों, यानी जिला न्यायाधीशों और उनके अधीनस्थ न्यायाधीशों का अनुशासनात्मक नियंत्रण भी शामिल है।अनुच्छेद 235 में प्रयुक्त "नियंत्रण" शब्द को उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुशासनात्मक नियंत्रण माना गया है।न्यायिक अधिकारियों के संबंध में अनुशासनात्मक प्राधिकरण उच्च न्यायालय है और यह उच्च न्यायालय है, जो न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर सकता है। उच्च न्यायालय न्यायपालिका के किसी सदस्य को निलंबित भी कर सकता है।जहां तक बर्खास्तगी या हटाने का संबंध है, उक्त आदेशों को उच्च न्यायालय की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है।यह तथ्य कि बर्खास्तगी या हटाने के आदेश राज्यपाल की मंजूरी से जारी किए जाते हैं, किसी भी तरह से उच्च न्यायालय के अनुशासनात्मक नियंत्रण को नकारता है।[पारस 9,14 और 16] [967-D-E; 971-A; 972-G-H]**

बी.

सी.

**1.2 वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता न्यायिक सेवा का सदस्य है जिसके लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण उच्च न्यायालय है।कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण के लिए और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए था। अधिनियम, 2013 का अध्याय II आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित है। अध्याय IV शिकायत से संबंधित है।अध्याय IV में, धारा 11 धाराओं में से एक है, जो शिकायत की जांच से संबंधित है।अध्याय 5 शिकायत की जांच से संबंधित है और धारा 13 जांच रिपोर्ट से संबंधित है।अधिनियम, 2013 एक संसदीय विधान है, जिसकी प्रस्तावना में विधान की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।[पारस 18-21] [974-A-C; 975-B; 976-B-C]**

डी.

ई.

एफ.

**1.3 अधिनियम के प्रावधान, शिकायत तंत्र और आंतरिक शिकायत समिति के गठन के लिए तंत्र, शिकायत की जांच करने के लिए तंत्र सभी कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा और कल्याण की रक्षा के लिए हैं।धारा 11 और 13 के प्रावधान किसी भी तरह से अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय के नियंत्रण को प्रभावित नहीं करते हैं, जो न्यायिक अधिकारियों के संबंध में है।न्यायिक अधिकारी को निलंबित करने की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित है।उच्च न्यायालय का पूर्ण न्यायालय किसी भी तरह से याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू करने और मामला दर्ज करने से अछूता नहीं है**

जी.

एच.



**याचिकाकर्ता का इस बात से संतुष्ट होने पर निलंबन किया गया कि पर्याप्त सामग्री मौजूद है।उच्च न्यायालय ने अपनी दिनांकित आई. डी. 1 की बैठक में कर्मचारी की शिकायत को आंतरिक शिकायत समिति और आंतरिक शिकायत समिति को भेजने का निर्णय लिया है, यह राय देते हुए कि जांच की आवश्यकता है, अधिनियम, 2013 के अनुसार आगे के कदम उठाए गए थे।याचिकाकर्ता को निलंबित करने और याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच की कार्यवाही शुरू करने के लिए पूर्ण न्यायालय के**

**दिनांक 13.07.2016 के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है।प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दिनांक 05.11.2016 में याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर कोई निष्कर्ष नहीं था, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में केवल यह राय दी गई थी कि जांच की जानी चाहिए।जाँच रिपोर्ट, जिसे धारा 13 में संदर्भित किया गया है, एक जाँच रिपोर्ट है, जिसे जाँच पूरी होने के बाद आंतरिक शिकायत समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया है।वर्तमान मामले में, आंतरिक शिकायत समिति द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांकित है, जिसे याचिकाकर्ता को स्वीकृत रूप से प्रदान किया गया है, धारा 13 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत की गई सिफारिश के खिलाफ दी गई अपील का अधिकार अधिनियम की धारा 18 के तहत अपील योग्य है। इस प्रकार, एक पीड़ित व्यक्ति को अपील का अधिकार केवल तभी दिया जाता है जब धारा 13 के तहत नियोक्ता को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।धारा 13 (3) आंतरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट पर विचार करती है जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप साबित हो गया है।यह किसी भी पक्ष का मामला नहीं है कि समिति की दिनांकित रिपोर्ट 05.11.2016 वह रिपोर्ट है जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित हो गया है।यहां तक कि दूसरे परंतुक में धारा 11 (1) के तहत, एकमात्र विचार निष्कर्षों की एक प्रति उपलब्ध कराना है।इस प्रकार, जब रिपोर्ट जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं हैं, तो पक्षकार प्रतिलिपि प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।उच्च न्यायालय ने अपने जवाबी हलफनामे में दलील दी है कि आई. डी. 1 की रिपोर्ट याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई निष्कर्ष वाली रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि केवल राय व्यक्त की गई थी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू की जाए।दिनांकित 05.11.2016 की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की आपूर्ति न करने से याचिकाकर्ता के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया जा सकता है।23.02.2017 दिनांकित आरोप ज्ञापन की प्रति अभिलेख पर लाई गई है, जो यह भी स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि आरोप ज्ञापन दिनांकित 05.11.2016 प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का उल्लेख नहीं करता है।इस प्रकार, ए के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं कहा जा सकता है।**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

**05.11.2016 दिनांकित रिपोर्ट की गैर-आपूर्ति द्वारा याचिकाकर्ता।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का निवेदन कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दिनांक 05.11.2016 की आपूर्ति न होने के कारण, कार्यवाही को दूषित कर दिया गया है, स्वीकार नहीं किया गया है। आंतरिक शिकायत समिति द्वारा दिनांकित 23.02.2017 के आरोप ज्ञापन के संबंध में, जिसकी जांच दिनांकित 09.03.2018 की रिपोर्ट में समाप्त होती है, याचिकाकर्ता के लिए उचित प्राधिकरण के समक्ष तथ्यों और कानून की सभी दलीलों को उठाने के लिए खुला है।इस न्यायालय ने केवल सीमित मुद्दों पर विचार किया है जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा दबाव डाला गया है।उपरोक्त के अलावा, सभी प्रश्न और मुद्दे दोनों पक्षों के लिए खुले हैं।[पारस 22,24-26] [976-D-F; 978-A, E-H; 979-A-C]**

बी.

सी.

पश्चिम बंगाल राज्य और एक अन्य बनाम नृपेंद्र नाथ

बागची एयर 1966 एससी 447:[1966] 1 एस. सी. आर. 771; पंजीयक

(प्रशासन.) उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक बनाम शिशिर कांता सतपथी (मृत) एल. आर. द्वारा और एक अन्य (1999) 7 एस. सी. सी.

**725 :[1999] 2 पूरक।एस. सी. आर. 473-अनुसरण किया गया।**

डी.

तमिलनाडु राज्य प्रतिनिधि, सरकार के सचिव द्वारा (गृह) बनाम प्रमोद कुमार आई. पी. एस. और एक अन्य ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 4060

**– अप्रयोज्य रखा गया।**

बरदकांत मिश्रा बनाम उड़ीसा का उच्च न्यायालय और

एक और (1976) 3 एससीसी 327:[1976] पूरक।एससीआर 561;

ई.

राजेंद्र सिंह वर्मा (मृत) एल. आर. और अन्य बनाम उपराज्यपाल (एन. सी. टी. दिल्ली) और अन्य के माध्यम से

**(2011) 10 एससीसी 1:[2011] 12 एससीआर 496-पर निर्भर।**

आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और अन्य बनाम एल. वी. ए.

दीक्षितुलु और अन्य (1979) 2 एस. सी. सी. 34:[1979] 1 एस. सी. आर. 26-संदर्भित।

एफ.

**मामला कानून संदर्भ**

**[1966] 1 एस. सी. आर. 771 का अनुसरण किया गया**

**पैरा 9**

**[1976] पूरक।एस. सी. आर. 561 पर निर्भर**

**पैरा 11**

जी.

**[1999] 2 पूरक।एस. सी. आर. 473 का अनुसरण किया गया**

**पैरा 12**

**[2011] 12 एस. सी. आर. 496 ने पैरा 13 [1979] 1 एस. सी. आर. 26 पर भरोसा किया, जिसे पैरा 15 ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 4060 में संदर्भित किया गया है, जिसे लागू नहीं किया जा सकता है।**

एच.



नागरिक मूल न्यायनिर्णय:2018 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 705

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

वरिंदर कुमार शर्मा, सुश्री पारुल शर्मा, युगल किशोर प्रसाद, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।

बी.

पी. एस. नरसिम्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री बीनू टम्टा, ध्रुव टम्टा, राहुल जी. तनवानी, सुश्री सिंदूरा वी. एन. एल., अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

**अशोक भूषण, जे।**

सी.

1. याचिकाकर्ता, दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में एक न्यायिक अधिकारी, जिनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है, ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना करते हुए यह रिट याचिका दायर की हैः-

"क. प्रत्यर्थी सं. 1, दिल्ली उच्च न्यायालय का पूर्ण न्यायालय, दिनांक सं. 6 (अनुलग्नक-पी-12) की रिपोर्ट में उद्धृत, और दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा दिनांक सं. 5, सं. 3, सं. 2, सं. 1 या इस जांच के संबंध में किसी अन्य तिथि को पारित किए गए सभी बाद के प्रस्तावों को रद्द करते हुए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जिसका उल्लेख दिनांक सं. 6 (अनुलग्नक-पी-12) की रिपोर्ट में किया गया है।12) क्योंकि वे मनमाने हैं, बिना किसी अधिकार क्षेत्र के और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013, अनुच्छेद 14 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

डी.

ई.

एफ.

बी. 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा आई. सी. सी. की कार्यवाही को रद्द करते हुए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।

ग. प्रत्यर्थी संख्या 2 की सिफारिश पर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जारी दिनांकित आरोप पत्र (अनुलग्नक-पी-7) को रद्द करने के लिए एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना;

जी.

घ. आई. सी. सी. की दिनांकित 9.3.2018 (अनुलग्नक-पी-12) रिपोर्ट को रद्द करते हुए प्रमाणपत्र की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, ए

एच.

963

डॉ. पी. एस. मलिक बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय [अशोक भूषण, जे.] ए.

2 प्रत्यर्थीगण की सभी कार्यवाहियों के साथ इसमें प्रत्यर्थीगण;

ई. प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जारी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 15.05.2018 (अनुलग्नक-पी-11) के पत्र को रद्द करते हुए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक रिट, आदेश या

निर्देश जारी करना; और च. कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश पारित करना जो यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में देने के लिए उचित समझता है।"

बी.

2. इस रिट याचिका पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः- 2.1 याचिकाकर्ता द्वारका, नई दिल्ली में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे हैं। 05.07.2016 पर, याचिकाकर्ता के खिलाफ एक महिला, कनिष्ठ न्यायिक सहायक (इसके बाद "कर्मचारी" के रूप में संदर्भित) द्वारा कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी।यह शिकायत दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित की गई थी।कनिष्ठ न्यायिक सहायक याचिकाकर्ता डब्ल्यू. ई. एफ. 18.05.2015 के न्यायालय में अहलमाद के रूप में काम कर रहा था।उन्होंने 18.05.2016 तक उस क्षमता में काम करना जारी रखा।एक अन्य शिकायत दिनांक 11.07.2016 कर्मचारी द्वारा मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत की गई थी।कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत शिकायत 13.07.2016 पर उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आई, जिसका समाधान निम्नानुसार किया गयाः-

सी.

डी.

ई.

आई. न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित रहने तक उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए।

ii.महापंजीयक इस न्यायालय को सूचना के तहत कानून के अनुसार उचित कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. को दिनांकित 05.07.2016 की शिकायत भेजेगा।

एफ.

iii.कार्यवृत्त की पुष्टि की प्रत्याशा में कदम उठाने के लिए रजिस्ट्री।

जी.

2.2 दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने दिनांक 1 के आगे के प्रस्ताव द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच के लिए पांच सदस्यों वाली एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने का संकल्प लिया।याचिकाकर्ता के साथ-साथ कर्मचारी भी पेश हुए

एच.

आंतरिक शिकायत समिति (इसके बाद "समिति" के रूप में संदर्भित)।याचिकाकर्ता को अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित रहने तक 13.07.2016 के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था।कर्मचारी ने समिति के समक्ष 28.07.2016 दिनांकित एक विस्तृत बयान प्रस्तुत किया।याचिकाकर्ता ने 02.09.2016 पर समिति को अपना जवाब प्रस्तुत किया।19.09.2016 पर समिति ने दोनों पक्षों के साथ अलग-अलग बातचीत की।05.11.2016 पर, समिति ने पूर्ण न्यायालय को एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.11.2016 द्वारा, समिति ने राय दी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच की जानी चाहिए।उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने अपनी दिनांकित बैठक में निर्णय लिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 8 के तहत बड़े जुर्माने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाए।

बी.

सी.

2.3 22/23.02.2017 दिनांकित आरोपों का ज्ञापन याचिकाकर्ता को दिया गया था, जिसमें आरोपों का लेख और आरोपों का बयान था।याचिकाकर्ता ने 11.03.2017 पर लिखित बयान प्रस्तुत किया।पूर्ण न्यायालय ने 06.07.2017 पर याचिकाकर्ता के दिनांकित 11.03.2017 के बचाव पक्ष के लिखित बयान पर विचार किया और जांच करने का संकल्प लिया।पूर्ण न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (इसके बाद "अधिनियम, 2013" के रूप में संदर्भित) की धारा 4 के संदर्भ में एक समिति के गठन का संकल्प लिया, जिसकी अध्यक्षता माननीय न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने की, जिन्हें जांच प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया था।

डी.

ई.

2.4 जाँच समिति के समक्ष जाँच आगे बढ़ी और आंतरिक शिकायत समिति द्वारा दिनांकित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट को आई. डी. 1 पर आयोजित अपनी बैठक में पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखा गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को जाँच रिपोर्ट भेजने और उसे अपनी लिखित दलीलें प्रस्तुत करने के लिए कहने का संकल्प लिया गया था। पूर्ण न्यायालय ने अपनी दिनांकित 01.08.2018 की बैठक में याचिकाकर्ता को दिनांकित 13.07.2016,19.07.2016 और 16.11.2016 की पूर्ण न्यायालय बैठक कार्यवृत्त की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने का भी संकल्प लिया।उच्च न्यायालय ने यह भी निर्णय लिया कि चूंकि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दिनांक 1 पर भरोसा नहीं किया गया है, इसलिए इसे याचिकाकर्ता को

प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका 08.06.2018 पर दायर की है।

एफ.

जी.

एच.

965

डॉ. पी. एस. मलिक बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय [अशोक भूषण, जे.] ए.

ए.

3. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री वरिंदर कुमार शर्मा और प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. एस. नरसिम्हा को सुना है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने दिनांक 05.07.2016 की शिकायत प्राप्त करने पर अधिनियम, 2013 में दी गई प्रक्रिया का पालन नहीं किया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूर्ण न्यायालय को शिकायत को जांच के लिए आंतरिक शिकायत समिति को सौंपना चाहिए था।पूर्ण न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ 13.07.2016 पर तीन दंडात्मक निर्देश जारी करने में गलती की।दिनांकित 13.07.2016 आदेश याचिकाकर्ता को सुनवाई के लिए एक जांच या अवसर से पहले समय से पहले था। इसके अलावा, उन्हें एक प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया था, जिसके पास दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1970 और अखिल भारतीय सेवा नियमों के तहत उन निर्देशों को पारित करने की कोई कानूनी क्षमता नहीं थी।याचिकाकर्ता के मामले में पूरी प्रक्रिया को दूषित करते हुए अधिनियम, 2013 का घोर उल्लंघन किया गया है।जाँच करने के बाद समिति ने 05.11.2016 दिनांकित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसे अधिनियम, 2013 के अनुसार याचिकाकर्ता को देने की आवश्यकता थी, लेकिन याचिकाकर्ता को देने से इनकार कर दिया गया था।समिति ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप को साबित नहीं पाया, पूर्ण न्यायालय को याचिकाकर्ता के खिलाफ जुर्माना लगाने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। प्रत्यर्थीगण ने गलत तरीके से यह मान लिया है कि वे याचिकाकर्ता के अनुशासनात्मक अधिकारी हैं, जबकि दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1970 (इसके बाद "नियम, 1970" के रूप में संदर्भित) के नियम 26 ए के तहत, उच्च न्यायालय को बड़े दंड से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्यों पर कोई भी अधिकार रखने से वंचित कर दिया गया है।अनुशासनात्मक प्राधिकारी यानी राज्यपाल को बिना जानकारी के 23.02.2017 दिनांकित आरोप ज्ञापन जारी किया गया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

5. प्रत्यर्थीगण की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरसिम्हा ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत न्यायिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखने वाले उच्च न्यायालय के पास याचिकाकर्ता को निलंबित करने और नियमित अनुशासनात्मक जांच का निर्देश देने के अधिकार क्षेत्र की कमी नहीं है।समिति द्वारा की गई जांच, जिसने पूर्ण जांच करने के बाद, याचिकाकर्ता को पूरा अवसर देते हुए दिनांक 09.03.2018 पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 09.03.2018 की जाँच रिपोर्ट याचिकाकर्ता को दिनांकित 16.05.2018 के पत्र द्वारा दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता को एक महीने के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन या बयान जमा करने के लिए कहा गया था, जो अभी तक नहीं किया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में यह याचिका दायर की है और इस माननीय न्यायालय के सम्मान के कारण मामला लंबित है, आगे कोई कदम नहीं उठाया गया है।

एफ.

जी.

एच.



जांच में लिया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि 05.11.2016 दिनांकित रिपोर्ट समिति द्वारा प्रस्तुत एक प्रारंभिक रिपोर्ट थी जिसमें राय दी गई थी कि अनुशासनात्मक जांच की जानी चाहिए, उक्त रिपोर्ट प्रारंभिक जांच रिपोर्ट होने के कारण, याचिकाकर्ता को ऐसी रिपोर्ट देना आवश्यक नहीं था।अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अनुसार की गई जांच रिपोर्ट और धारा 13 के अनुसार, रिपोर्ट की प्रति याचिकाकर्ता को विधिवत प्रदान की गई है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने के लिए प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दिनांक 05.11.2016 पर विचार नहीं किया गया था और इसलिए उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को उक्त रिपोर्ट की एक प्रति नहीं दी।

बी.

6. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता  को सुना है और अभिलेखों का अध्ययन किया है।

सी.

7. बहुत शुरुआत में, हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को संकेत दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अभी भी चल रही है, अभी तक कोई अंतिम रूप नहीं लिया है, अधिकांश मुद्दे, जिन्हें इस रिट याचिका में रिट याचिकाकर्ता द्वारा उठाए जाने की मांग की गई है, अनुशासनात्मक कार्यवाही में बहुत अच्छी तरह से प्रचार किया जा सकता है और पहले दबाया जा सकता है।हमने संकेत दिया कि इस न्यायालय द्वारा उन मुद्दों पर राय की कोई भी अभिव्यक्ति, जो अनुशासनात्मक जांच में प्रासंगिक और सामग्री हैं, पक्षों को प्रभावित कर सकती है।

डी.

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने विशेष रूप से प्रस्तुत किया कि यह न्यायालय उन प्रस्तुतियों पर विचार कर सकता है, जो मामले की जड़ तक जाते हैं, विशेष रूप से अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का गैर-अनुपालन।हम रिट याचिका में दावा की गई राहत पहले ही निकाल चुके हैं।रिट याचिका में दावे बहुत व्यापक हैं, जिनमें आंतरिक शिकायत समिति की कार्यवाही के साथ-साथ 23.02.2017 दिनांकित आरोप पत्र और 09.03.2018 दिनांकित रिपोर्ट को रद्द करना शामिल है।हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता के पास अभी भी आंतरिक शिकायत समिति की कार्यवाही, आरोप पत्र के साथ-साथ दिनांकित जाँच रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही में अवसर है, हम उपरोक्त मुद्दों में प्रवेश नहीं करना उचित समझते हैं और याचिकाकर्ता को उपयुक्त प्राधिकरण के समक्ष सभी प्रस्तुतियों और याचिकाओं को उठाने के लिए खुला छोड़ देते हैं।हालाँकि, इस रिट याचिका में हम केवल कुछ सीमित मुद्दों की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिन पर याचिकाकर्ता द्वारा दबाव डाला गया है।केवल जिन मुद्दों पर हम विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वे हैं:-

ई.

एफ.

जी.

(i) क्या उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता का अनुशासनात्मक प्राधिकरण है, जो अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए सक्षम है

एच.

967

डॉ. पी. एस. मलिक बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय [अशोक भूषण, जे.] ए.

याचिकाकर्ता के खिलाफ और उसे दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1970 और अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के अनुसार निलंबित कर दिया।

((ii) क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच शुरू करने और उसे निलंबन के तहत रखने पर पूर्ण न्यायालय का निर्णय अधिकार क्षेत्र से बाहर था?

बी.

(iii) क्या आंतरिक शिकायत समिति द्वारा दिनांक 05.11.2016 पर प्रस्तुत प्रारंभिक जांच रिपोर्ट याचिकाकर्ता को प्रदान की जानी चाहिए थी और ऐसी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दिनांक 05.11.2016 की गैर-आपूर्ति ने पूरी कार्यवाही को दूषित कर दिया था?

सी.

**अंक संख्या 1 और 2**

9. समस्या Nos.1 और 2 को एक साथ जोड़ा जा रहा है।भारत के संविधान का भाग VI "राज्यों" से संबंधित है।अध्याय VI में "अधीनस्थ न्यायालय" शीर्षक शामिल है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 और 235 में दो अलग-अलग शक्तियों का उल्लेख है।पहला जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, नियुक्ति और पदोन्नति की शक्ति है और दूसरा राज्य के न्यायिक अधिकारियों पर नियंत्रण की शक्ति है।अनुच्छेद 235 में आने वाले "नियंत्रण" शब्द का अर्थ न केवल न्यायालयों के कामकाज का सामान्य अधीक्षण है, बल्कि इसमें न्यायिक अधिकारियों, यानी जिला न्यायाधीशों और उनके अधीनस्थ न्यायाधीशों का अनुशासनात्मक नियंत्रण भी शामिल है।अनुच्छेद 235 में प्रयुक्त "नियंत्रण" शब्द को इस न्यायालय द्वारा अनुशासनात्मक नियंत्रण माना गया है।पश्चिम राज्य में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ

डी.

ई.

**बंगाल और एक अन्य बनाम नृपेंद्र नाथ बागची, ए. आई. आर. 1966 एस. सी.**

447 जिला न्यायाधीशों पर संविधान के अनुच्छेद 235 में उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण की प्रकृति पर विचार करने का अवसर मिला था।अनुच्छेद No.13 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया थाः-

एफ.

“15. हम इस निर्माण को स्वीकार नहीं करते हैं।"नियंत्रण" शब्द संविधान में बिल्कुल भी परिभाषित नहीं है।संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित भाग XIV में "अनुशासनात्मक नियंत्रण" या "अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार" शब्दों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है।यह नहीं सोचा जाना चाहिए कि सेवाओं के अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र पर विचार नहीं किया गया है।इस संदर्भ में हमारे निर्णय में "नियंत्रण" शब्द में अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र शामिल होना चाहिए।वास्तव में, इस शब्द का उपयोग कला के एक शब्द के रूप में किया जा सकता है क्योंकि सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और

अपील) नियमों में "नियंत्रण" शब्द का उपयोग किया गया था और एकमात्र नियम जो वैध रूप से इस शब्द के अंतर्गत आ सकते हैं।

जी.

एच.



"नियंत्रण अनुशासनात्मक नियम हैं।इसके अलावा, जैसा कि हम पहले ही दिखा चुके हैं, इन अनुच्छेदों के अधिनियमन के पीछे का इतिहास इंगित करता है कि "नियंत्रण" उच्च न्यायालय में एक उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए निहित था, अर्थात्, अधीनस्थ न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सुरक्षा और जब तक कि इसमें अनुशासनात्मक नियंत्रण के साथ-साथ उद्देश्य भी शामिल न हो।निर्माण के लिए यह सहायता स्वीकार्य है क्योंकि किसी कानून के अर्थ का पता लगाने के लिए, कानूनी रूप से कानून की पूर्व स्थिति, बुराई को हटाने की मांग और उस प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है जिसके द्वारा कानून विकसित किया गया था।जैसा कि हमने देखा है, "नियंत्रण" शब्द का उपयोग संविधान में पहली बार किया गया था और इसके साथ "बनियान" शब्द है जो एक मजबूत शब्द है।यह दर्शाता है कि उच्च न्यायालय को न्यायपालिका पर नियंत्रण का एकमात्र संरक्षक बनाया गया है।इसलिए, नियंत्रण केवल न्यायालय के दिन-प्रतिदिन के कामकाज की व्यवस्था करने की शक्ति नहीं है, बल्कि पीठासीन न्यायाधीश पर अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र पर विचार करता है।

बी.

सी.

10. संविधान पीठ ने आगे कहा कि संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत, उच्च न्यायालय जांच कर सकता है, बर्खास्तगी या हटाने के अलावा अन्य दंड लगा सकता है।पैराग्राफ नंबर 18 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया हैः-

डी.

"18. इसलिए, अनुच्छेद 311 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर करता है कि यदि अनुच्छेद 235 में ऐसी शक्ति निहित है तो उच्च न्यायालय को जांच करने के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है।हमारे निर्णय में, जो नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित है, वह नियुक्ति (बर्खास्तगी और निष्कासन सहित) और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति के मामले में केवल राज्यपाल की शक्ति के अधीन

एक पूर्ण नियंत्रण है।उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण के प्रयोग के भीतर, उच्च न्यायालय पूछताछ कर सकता है, बर्खास्तगी या हटाने के अलावा अन्य दंड लगा सकता है, हालांकि सेवा की शर्तों के अधीन, और अपील का अधिकार यदि सेवा की शर्तों द्वारा दिया जाता है, और अनुच्छेद 311 के खंड (2) द्वारा आवश्यक कारण दिखाने का अवसर देने के लिए, जब तक कि उस खंड के परंतुक (बी) और (सी) के तहत कार्य करने वाले राज्यपाल द्वारा ऐसा अवसर नहीं दिया जाता है।इस मामले में केवल उच्च न्यायालय ही जांच कर सकता था। अन्यथा पकड़ रखना उस नीति को उलटना होगा जो इस दिशा में दृढ़ रूप से आगे बढ़ी है।"11. इसी प्रभाव के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का एक और फैसला है

ई.

एफ.

जी.

यह न्यायालय बारदाकांत मिश्रा बनाम उड़ीसा का उच्च न्यायालय है और ए

एच.

969

डॉ. पी. एस. मलिक बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय [अशोक भूषण, जे.] ए.

**एक अन्य, (1976) 3 एस. सी. सी. 327 जहाँ पैराग्राफ No.20 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया थाः-**

**"20. इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में अनुच्छेद 235 के दायरे की जांच की गई है। महत्वपूर्ण निर्णय स्टेट ऑफ वेस्ट हैं।**

बंगाल बनाम नृपेंद्र नाथ बागची, ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 447; कलकत्ता उच्च न्यायालय बनाम अमल कुमार रॉय, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1704; पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बनाम हरियाणा राज्य (आई.

बी.

एन. एस. राव का मामला), (1975) 1 एस. सी. सी. 843।निर्णयों का प्रभाव यही है।अनुच्छेद 235 में उपयोग किए गए "नियंत्रण" शब्द में जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीश के पद से निचले स्तर के न्यायाधीशों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण शामिल है।यह नियंत्रण अधीनस्थ न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए उच्च न्यायालय में निहित है और जब तक इसमें अनुशासनात्मक नियंत्रण शामिल नहीं है, तब तक उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।"नियंत्रण" शब्द के साथ "बनियान" शब्द है जो दर्शाता है कि उच्च न्यायालय को न्यायपालिका पर नियंत्रण का एकमात्र संरक्षक बनाया गया है।नियंत्रण केवल

न्यायालय के दिन-प्रतिदिन के कामकाज की व्यवस्था करने की शक्ति नहीं है, बल्कि पीठासीन न्यायाधीश पर अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र पर विचार करता है।"नियंत्रण" शब्द में इन न्यायालयों के केवल पर्यवेक्षण के अलावा कुछ शामिल है।न्यायाधीशों के आचरण और अनुशासन पर नियंत्रण होता है।सेवा की शर्तों में उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ अपील के अधिकार को शामिल करना अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र में पारित आदेश को इंगित करता है।अनुच्छेद 235 में "सौदा" शब्द यह भी इंगित करता है कि नियंत्रण अनुशासनात्मक है और केवल प्रशासनिक क्षेत्राधिकार पर नहीं है।जिला न्यायाधीशों की प्रारंभिक नियुक्ति और पदोन्नति और जिला न्यायाधीशों की बर्खास्तगी, निष्कासन, पद में कमी सहित नियुक्ति के तरीके में राज्यपाल की शक्ति के अधीन पूर्ण नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित है।उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण के प्रयोग के भीतर, उच्च न्यायालय पूछताछ कर सकता है, सेवा की शर्तों द्वारा दिए जाने पर अपील के अधिकार के लिए सेवा की शर्तों के अधीन रहते हुए बर्खास्तगी या हटाने के अलावा अन्य दंड लगा सकता है, और अनुच्छेद 311 के खंड (2) द्वारा आवश्यक कारण दिखाने का अवसर दे सकता है, जब तक कि उस खंड के परंतुक (बी) और (सी) के तहत कार्य करने वाले राज्यपाल द्वारा ऐसा अवसर नहीं दिया जाता है।अकेले उच्च न्यायालय अनुशासनात्मक आचरण की जांच कर सकता है।"

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.



**12. पंजीयक (प्रशासन), उच्च न्यायालय में एक अन्य संविधान पीठ**

**उड़ीसा का न्यायालय, कटक बनाम। विधिक उत्तराधिकारी एस. और एक अन्य द्वारा शिशिर कांता सतपति (मृत), (1999) 7 एस. सी. सी. 725 पहले की सभी समीक्षाओं के बाद**

पैराग्राफ No.16 में निम्नलिखित निर्णय दिए गए हैंः- "16. हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि जबकि उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायपालिका पर अनुशासनात्मक नियंत्रण की शक्ति को बरकरार रखता है, जिसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की शक्ति, उन्हें जांच लंबित रहने तक निलंबित करना और उन पर सजा देना शामिल है, लेकिन जब न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी, हटाने, रैंक में कमी या सेवाओं को समाप्त करने के सवाल की बात आती है, तो किसी भी मामले में, उच्च न्यायालय केवल सिफारिश करने वाला प्राधिकरण बन जाता है और स्वयं ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकता है (इंदर प्रकाश के माध्यम से)।

बी.

सी.

आनंद मामला, (1976) 2 एस. सी. सी. 977 और राजिया मामला, (1988) 3 एस. सी. सी. 211।"

13. हम इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं।

**राजेंद्र सिंह वर्मा (मृत) एल. आर. और अन्य बनाम के माध्यम से। उपराज्यपाल (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और अन्य, (2011) 10 एस. सी. सी.**

डी.

1. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय को दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के न्यायिक अधिकारियों पर अनुच्छेद 235 के नियंत्रण पर विचार करने का अवसर मिला था।इस न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के न्यायिक अधिकारियों के संदर्भ में उच्च न्यायालय के नियंत्रण को विस्तृत करने के बाद यह निर्धारित किया था कि केवल उच्च न्यायालय ही अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने या विभिन्न दंड लगाने के लिए सक्षम है।संविधान के अनुच्छेद 239 एए (4) के आधार पर अदालत के समक्ष उठाई गई दलीलों को खारिज कर दिया गया कि एन. सी. टी. दिल्ली में योजना अलग है।पैराग्राफ No.136 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः-

ई.

"136. जहाँ तक उच्च न्यायालय का संबंध है, न्यायिक अधिकारियों से निपटने के लिए अनुच्छेद 239-एए (4) पर निर्भरता पूरी तरह से अनुचित है।अनुच्छेद 239-एए (4) की कोई अन्य व्याख्या करना संविधान के अनुच्छेद 235 में अंतर्निहित सर्वोच्च उद्देश्य को विफल करना होगा, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा और अधीनस्थ न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए है।यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्यपाल न्यायिक अधिकारियों के मामले में अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह नहीं ले सकता है और उसकी सलाह स्वीकार नहीं कर सकता है और उसके अनुसार कार्य नहीं कर सकता है। राज्यपाल और उच्च न्यायालय के बीच किसी भी बाहरी निकाय के लिए कोई जगह नहीं है।

इसलिए, इस न्यायालय को इस विवाद में भी कोई सार नहीं मिलता है और इसे खारिज कर दिया जाता है।"

एफ.

जी.

एच.

971

डॉ. पी. एस. मलिक बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय [अशोक भूषण, जे.] ए.

ए.

14. उपरोक्त मामले में, यह स्पष्ट और स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि न्यायिक अधिकारियों के संबंध में अनुशासनात्मक प्राधिकरण उच्च न्यायालय है और यह उच्च न्यायालय है, जो न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर सकता है।हालाँकि, न्यायिक अधिकारियों की बर्खास्तगी, हटाने या रैंक में कमी या सेवाओं की समाप्ति के संबंध में, उच्च न्यायालय सिफारिश करने वाला प्राधिकरण बन जाता है और यह राज्यपाल है, जो आदेश जारी करता है।

बी.

15. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आंध्र के मुख्य न्यायाधीश में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया है।

**प्रदेश और अन्य बनाम। एल. वी. ए. दीक्षितुलु और अन्य, (1979) 2**

एससीसी 34.उपरोक्त मामला उच्च न्यायालय के कर्मचारियों का था।इस न्यायालय के पास अनुच्छेद 235 के दायरे की व्याख्या करने का अवसर था।फैसले के पैराग्राफ 40 में, उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण की कुछ घटनाओं को गिना गया था।अनुच्छेद 40 इस प्रकार हैः

सी.

"40. अनुच्छेद 235 की व्याख्या और दायरा इस न्यायालय के कई फैसलों का विषय रहा है। इन निर्णयों से स्पष्ट स्थिति यह है कि अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय में निहित अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण प्रकृति में अनन्य, विस्तार में व्यापक और संचालन में प्रभावी है।यह विभिन्न प्रकार के मामलों को समझता है।अन्य में शामिल हैंः

डी.

(क) अनुशासनात्मक अधिकारिता और पूर्ण नियंत्रण केवल नियुक्ति, बर्खास्तगी, निष्कासन, जिला न्यायाधीशों के पद में कमी, और जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में प्रारंभिक नियुक्ति और पदोन्नति के मामले में राज्यपाल की शक्ति के अधीन है।इस नियंत्रण के प्रयोग में, उच्च

न्यायालय अधीनस्थ न्यायपालिका के किसी सदस्य के खिलाफ जांच कर सकता है, बर्खास्तगी या हटाने के अलावा अन्य सजा दे सकता है, हालांकि, सेवा की शर्तों के अधीन, और अपील का अधिकार, यदि कोई हो, तो प्रदान किया जाता है और अनुच्छेद 311 (2) द्वारा आवश्यक कारण दिखाने का अवसर दिया जाता है।

ई.

एफ.

(ii) अनुच्छेद 235 में, 'नियंत्रण' शब्द के साथ 'निहित' शब्द है जो दर्शाता है कि अकेले उच्च न्यायालय को न्यायपालिका पर नियंत्रण का एकमात्र संरक्षक बनाया गया है।उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण, अनन्य होने के कारण, न कि दोहरे होने के कारण, न्यायपालिका के किसी सदस्य के आचरण की जांच अकेले उच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है और कोई अन्य प्राधिकरण नहीं।(पश्चिम बंगाल राज्य बनाम नृपेंद्र नाथ बागची (ऊपर); शमशेर सिंह बनाम।

जी.

एच.



पंजाब राज्य (1974) 2 एस. सी. सी. 831; पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बनाम हरियाणा राज्य (उपनाम नरेंद्र सिंह राव, (1975) 1 एस. सी. सी. 831)।

((iii) अनुशासनात्मक जांच कराने की दृष्टि से न्यायपालिका के किसी सदस्य की सेवा से निलंबन।

बी.

(ख) न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश से निम्नतम पदों पर आसीन व्यक्तियों के स्थानांतरण, पदोन्नति और ऐसी पदोन्नति की पुष्टि।(असम राज्य बनाम एस. एन. सेन, (1971) 2 एस. सी. सी. 899, असम राज्य बनाम कुनेश्वर सैकिया, (1969) 3 एस. सी. सी. 505।(ग) जिला न्यायाधीशों का स्थानांतरण [असम राज्य बनाम रंगा मुहम्मद (ऊपर); चंद्र मौलेश्वर बनाम पटना उच्च न्यायालय (ऊपर)]।

सी.

(घ) पूर्व संवर्ग के पदों पर या प्रशासनिक पदों पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात जिला न्यायाधीशों को वापस बुलाना।(उड़ीसा राज्य बनाम सुधांशु शेखर मिश्रा, ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 647)।

डी.

(ङ) जिला न्यायाधीशों सहित न्यायिक सेवा के सदस्यों को चयन श्रेणी का पुरस्कार, यह संवर्ग में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के बाद उनकी आगे की पदोन्नति है।(असम राज्य बनाम कुसेश्वर सैकिया (ऊपर)।

(च) जिला न्यायाधीशों की उनकी प्रारंभिक नियुक्ति या राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में पदोन्नति के बाद परिवीक्षा या कार्यवाहक आधार पर पुष्टि।[पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बनाम हरियाणा राज्य (ऊपर)]।

ई.

(छ) जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की समयपूर्व या अनिवार्य सेवानिवृत्ति (यू. पी. राज्य बनाम.बटुक देव पति त्रिपाठी और अन्र (ऊपर)।"

एफ.

16. उपरोक्त मामले में भी, इस न्यायालय ने कहा कि अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय में निहित है जो अधीनस्थ न्यायपालिका के किसी सदस्य के खिलाफ जांच कर सकता है, बर्खास्तगी या हटाने के अलावा अन्य सजा दे सकता है।उच्च न्यायालय न्यायपालिका के किसी सदस्य को निलंबित भी कर सकता है।जहां तक बर्खास्तगी या हटाने का संबंध है, उक्त आदेशों को उच्च न्यायालय की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है।यह तथ्य कि बर्खास्तगी या हटाने के आदेश राज्यपाल की मंजूरी से जारी किए जाते हैं, किसी भी तरह से उच्च न्यायालय के अनुशासनात्मक नियंत्रण को नकारता है।

जी.

एच.

973

डॉ. पी. एस. मलिक बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय [अशोक भूषण, जे.] ए.

ए.

17. विद्वान अधिवक्ता  द्वारा एक और निर्णय पर भरोसा किया गया

याचिकाकर्ता सरकार के सचिव द्वारा तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधि है। (गृह) बनाम। प्रोमोद कुमार आई. पी. एस. और एक अन्य, ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 4060।द.

ऊपर भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य का मामला था।इस न्यायालय को भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य के संदर्भ में अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के प्रावधानों पर विचार करने का अवसर मिला था।याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पैराग्राफ 18 और 19 पर भरोसा रखा है, जो निम्नलिखित प्रभाव वाले हैं:

बी.

"18. अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 8 (4) में यह भी आदेश दिया गया है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण आरोप ज्ञापन "तैयार करेगा या तैयार कराएगा"।हम बी. वी. गोपीनाथ (ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 88) (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं देखते हैं।हम राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिए गए निवेदन में भी कोई सार नहीं देखते हैं कि उक्त निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।यह मानते हुए कि श्री गिरि का यह कहना सही है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की शुरुआत और आरोप ज्ञापन जारी करना एक ही स्तर पर है, नियम 8 की अनिवार्य आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जो अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा आरोप ज्ञापन तैयार करने का प्रावधान करता है।हम अपीलार्थी की ओर से इस निवेदन को अस्वीकार करते हैं कि गोपीनाथ के मामले को तथ्यों के आधार पर अलग किया जा सकता है।हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि तमिलनाडु राज्य के व्यापार नियम और स्थायी आदेश भारत संघ द्वारा जारी कार्यालय आदेशों और परिपत्रों से काफी अलग हैं जो गोपीनाथ के मामले में निर्णय का आधार बने। उक्त निर्णय को बारीकी से पढ़ने से पता चलेगा कि कार्यालय नोट पर निर्भरता केवल नियम की व्याख्या के अतिरिक्त थी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

19. यह भी तय किया स्थापित विधि है कि यदि नियम में किसी विशेष तरीके से कुछ करने की आवश्यकता है तो इसे या तो उसी तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं-टेलर बनाम टेलर (1875) 1 Ch। डी. 426,431. नियम 8 (4) की अनिवार्य आवश्यकता और अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा तैयार किए जा रहे आरोप पत्र या तैयार किए जाने के कारण का पालन नहीं होने के कारण, हमारी राय है कि इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।हम केवल इतना जोड़ना चाहते हैं कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण को अनुशासनात्मक प्राधिकरण से अनुमोदन लेने के बाद नए सिरे से आरोप ज्ञापन जारी करने की स्वतंत्रता दी जाए।"

जी.

18. उपरोक्त मामले में, अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा आरोप ज्ञापन तैयार नहीं किया गया था, इसलिए, इस न्यायालय ने आरोप पत्र को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को मंजूरी दे दी।उपरोक्त मामला वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है।वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता न्यायिक सेवा का सदस्य है जिसके लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण उच्च न्यायालय है।

19. याचिकाकर्ता द्वारा जो निवेदन दिया गया है, वह यह है कि अधिनियम, 2013 को देखते हुए आंतरिक शिकायत समिति द्वारा एक जांच रिपोर्ट है, जैसा कि धारा 11 और 13 द्वारा परिकल्पित है, उच्च न्यायालय जांच शुरू करने या याचिकाकर्ता को निलंबित करने का निर्णय नहीं ले सकता था।यह अधिनियम, 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण के लिए और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए था।अधिनियम, 2013 का अध्याय II आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित है।अध्याय IV शिकायत से संबंधित है। अध्याय IV में, धारा 11 धाराओं में से एक है, जो शिकायत की जांच से संबंधित है। अधिनियम की धारा 11 इस प्रकार हैः-

बी.

सी.

डी.

"11. शिकायत की जांच।— (1) धारा 10 के प्रावधानों के अधीन, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, जैसा भी मामला हो, जहां प्रत्यर्थी एक कर्मचारी है, प्रत्यर्थी पर लागू सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार शिकायत की जांच करने के लिए आगे बढ़ेगी और जहां ऐसे कोई नियम मौजूद नहीं हैं, ऐसी तरीके से जो निर्धारित की जाए या घरेलू कर्मचारी के मामले में, स्थानीय समिति, यदि प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है, तो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 509 के तहत मामला दर्ज करने के लिए सात दिनों की अवधि के भीतर पुलिस को शिकायत भेजेगी, और जहां लागू हो, उक्त संहिता के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधानः

ई.

एफ.

बशर्ते कि जहां व्यथित महिला, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को सूचित करती है कि धारा 10 की उप-धारा (2) के तहत किए गए समझौते की किसी भी अवधि या शर्त का प्रत्यर्थी द्वारा पालन नहीं किया गया है, तो आंतरिक समिति या स्थानीय समिति शिकायत की जांच करने के लिए आगे बढ़ेगी या, जैसा भी मामला हो, पुलिस को शिकायत भेजेगीः

जी.

बशर्ते कि जहां दोनों पक्ष कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं, पक्षकारों को जांच के दौरान एक अवसर दिया जाएगा

एच.

975

डॉ. पी. एस. मलिक बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय [अशोक भूषण, जे.] ए.

सुनवाई की जा रही है और निष्कर्षों की एक प्रति वह दोनों पक्षों को उपलब्ध कराएगा जो उन्हें समिति के समक्ष निष्कर्षों के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाएगा।

XXXXXXXXXXXX "

20. अध्याय 5 शिकायत की जांच से संबंधित है और धारा 13 जांच रिपोर्ट से संबंधित है, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः-

बी.

“13. जाँच रिपोर्ट।— (1) इस अधिनियम के तहत जांच पूरी होने पर, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, जैसा भी मामला हो, अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट नियोक्ता को, या जिला अधिकारी को, जांच पूरी होने की तारीख से दस दिनों की अवधि के भीतर प्रदान करेगी और ऐसी रिपोर्ट संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी।

सी.

(2) जहां आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, जैसा भी मामला हो, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुआ है, तो वह नियोक्ता और जिला अधिकारी को सिफारिश करेगी कि मामले में कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

डी.

(3) जहां आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, जैसा भी मामला हो, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप साबित हो गया है, वह नियोक्ता या जिला अधिकारी को, जैसा भी मामला हो, अनुशंसा करेगी-(i) प्रत्यर्थी पर लागू सेवा नियमों के प्रावधानों के

अनुसार दुर्व्यवहार के रूप में यौन उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करने के लिए या जहां ऐसा कोई सेवा नियम नहीं बनाया गया है, उस तरीके से जो निर्धारित किया जा सकता है; (ii) प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों में कुछ भी होने के बावजूद, प्रत्यर्थी के वेतन या मजदूरी से ऐसी राशि की कटौती करने के लिए जो वह पीड़ित महिला या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान करने के लिए उचित समझे, धारा 15 के प्रावधानों के अनुसारः

ई.

एफ.

जी.

बशर्ते कि यदि नियोक्ता प्रत्यर्थी के कर्तव्य से अनुपस्थित होने या रोजगार की समाप्ति के कारण उसके वेतन से ऐसी कटौती करने में असमर्थ है तो वह प्रत्यर्थी को पीड़ित महिला को ऐसी राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता हैः

एच.



बशर्ते कि यदि प्रत्यर्थी खंड (ii) में निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो आंतरिक समिति या जैसा भी मामला हो, स्थानीय समिति संबंधित जिला अधिकारी को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली के लिए आदेश भेज सकती है।

(4) नियोक्ता या जिला अधिकारी सिफारिश प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर उस पर कार्रवाई करेगा।"

बी.

21. अधिनियम, 2013 एक संसदीय विधान है, जिसकी प्रस्तावना में विधान की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है, जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः- "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण के लिए और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए एक अधिनियम।"

सी.

22. अधिनियम के प्रावधान, शिकायत तंत्र और आंतरिक शिकायत समिति के गठन के लिए तंत्र, शिकायत की जांच करने के लिए तंत्र सभी कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा और कल्याण की रक्षा के लिए हैं।धारा 11 और 13 के प्रावधान किसी भी तरह से अनुच्छेद 235 के

तहत उच्च न्यायालय के नियंत्रण को प्रभावित नहीं करते हैं, जो ऊपर उल्लिखित न्यायिक अधिकारियों के संबंध में है।न्यायिक अधिकारी को निलंबित करने की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित है।उच्च न्यायालय का पूर्ण न्यायालय किसी भी तरह से याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू करने और याचिकाकर्ता को इस बात से संतुष्ट होने पर निलंबित करने से नहीं रोकता है कि पर्याप्त सामग्री मौजूद है।उच्च न्यायालय ने अपनी दिनांकित आई. डी. 1 की बैठक में कर्मचारी की शिकायत को आंतरिक शिकायत समिति और आंतरिक शिकायत समिति को भेजने का निर्णय लिया है, यह राय देते हुए कि जांच की आवश्यकता है, अधिनियम, 2013 के अनुसार आगे के कदम उठाए गए थे।इस प्रकार, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को निलंबित करने और याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच की कार्यवाही शुरू करने के लिए पूर्ण न्यायालय के दिनांक 13.07.2016 के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है।

डी.

ई.

एफ.

**मुद्दा संख्या 3**

23. याचिकाकर्ता द्वारा जिस निवेदन पर बहुत जोर दिया गया है, वह यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के रूप में संदर्भित रिपोर्ट की प्रति याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं की गई है, जिसके द्वारा उसे अपील करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है।अनुच्छेद संख्या 48 और 49 में दिनांकित प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के संबंध में, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित दावे किए हैंः- ए.

जी.

एच.

977

डॉ. पी. एस. मलिक बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय [अशोक भूषण, जे.] ए.

" 48-49.पैरा 48-49 की सामग्री गलत है और अस्वीकार की गई है।याचिकाकर्ता का यह गलत मानना है कि 05.11.2016 की रिपोर्ट, जो केवल एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है, उसे उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी।यह जांच अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1965 में निर्धारित प्रक्रिया और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 16.07.2015 के अनुपालन में सख्ती से की गई है।उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, आई. सी. सी. ने पहले प्रारंभिक जांच/जांच की और फिर अनुशासनात्मक प्राधिकरण के समक्ष

अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दिनांक 05.11.2016 प्रस्तुत की।अपराधी को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की प्रति प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि याचिकाकर्ता को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमित जांच करने के बाद जांच प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान की गई थी, जिसमें निर्देश दिया गया था कि यदि वह चाहे तो जांच प्राधिकरण के निष्कर्षों के खिलाफ अपना लिखित अभ्यावेदन या प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करें।हालाँकि, अपना लिखित अभ्यावेदन या प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करने के बजाय, याचिकाकर्ता ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष तत्काल रिट याचिका दायर करने का विकल्प चुना।इस प्रकार, यहां यह स्पष्ट किया गया है कि आई. सी. सी. द्वारा प्रारंभिक जांच/जांच में कोई विसंगति नहीं थी। आई. डी. 1 दिनांकित रिपोर्ट एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट थी जिसका उद्देश्य केवल अनुशासनात्मक प्राधिकरण को संतुष्ट करना है कि क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है।पूर्ण न्यायालय ने दिनांक 1 की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, याचिकाकर्ता के खिलाफ अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 8 के तहत बड़े जुर्माने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए अपने दिनांक 2 के निर्णय के माध्यम से निर्णय लिया।"

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

24. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दिनांक 1 में याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर कोई निष्कर्ष नहीं था, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में केवल यह राय दी गई थी कि जांच की जानी चाहिए।जाँच रिपोर्ट, जिसे धारा 13 में संदर्भित किया गया है, एक जाँच रिपोर्ट है, जिसे जाँच पूरी होने के बाद आंतरिक शिकायत समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया है।वर्तमान मामले में, आंतरिक शिकायत समिति द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांकित है 09.03.2018,

जी.

एच.

जो याचिकाकर्ता को स्वीकृत रूप से प्रदान किया गया है, धारा 13 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत की गई सिफारिश के खिलाफ दी गई अपील का अधिकार अधिनियम की धारा 18 के तहत अपील योग्य है। अधिनियम की धारा 18 इस प्रकार हैः-

"18.अपील करें।— (1) धारा 13 की उप-धारा (2) के तहत या धारा 13 की उप-धारा (3) के खंड (i) या खंड (ii) के तहत या धारा 14 या धारा 17 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत की गई सिफारिशों से व्यथित कोई भी व्यक्ति या ऐसी सिफारिशों को लागू न करने वाला व्यक्ति उक्त व्यक्ति पर लागू होने वाले सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार अदालत या न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है या जहां ऐसे कोई सेवा नियम मौजूद नहीं हैं, उस समय किसी अन्य कानून में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, व्यथित व्यक्ति उस तरीके से अपील कर सकता है जो वह निर्धारित करे।

बी.

सी.

(2) उप-धारा (1) के तहत अपील सिफारिशों के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर की जाएगी।"

डी.

25. इस प्रकार, एक पीड़ित व्यक्ति को अपील का अधिकार केवल तभी दिया जाता है जब धारा 13 के तहत नियोक्ता को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।धारा 13 (3) आंतरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट पर विचार करती है जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप साबित हो गया है।यह किसी भी पक्ष का मामला नहीं है कि समिति की दिनांकित रिपोर्ट 05.11.2016 वह रिपोर्ट है जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित हो गया है।यहां तक कि दूसरे परंतुक में धारा 11 (1) के तहत, एकमात्र विचार निष्कर्षों की एक प्रति उपलब्ध कराना है।इस प्रकार, जब रिपोर्ट जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं हैं, तो पक्षकार प्रतिलिपि प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।उच्च न्यायालय ने अपने जवाबी हलफनामे में दलील दी है कि आई. डी. 1 की रिपोर्ट याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई निष्कर्ष वाली रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि केवल राय व्यक्त की गई थी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू की जाए।इस प्रकार, हमारा विचार है कि दिनांकित प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की आपूर्ति न करने से याचिकाकर्ता पर कोई पूर्वाग्रह नहीं डाला जा सकता है।23.02.2017 दिनांकित आरोप ज्ञापन की प्रति अभिलेख पर लाई गई है, जो यह भी स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि आरोप ज्ञापन दिनांकित 05.11.2016 प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का उल्लेख नहीं करता है।इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि दिनांकित 05.11.2016 रिपोर्ट की आपूर्ति न होने से याचिकाकर्ता के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं हुआ है।हम, इस प्रकार, याचिकाकर्ता ए के लिए विद्वान अधिवक्ता  की प्रस्तुति को स्वीकार नहीं करते हैं।

ई.

एफ.

जी.

एच.

979

डॉ. पी. एस. मलिक बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय [अशोक भूषण, जे.]

कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दिनांक 05.11.2016 की आपूर्ति न होने के कारण, कार्यवाही को दूषित कर दिया गया है।

26. बंद करने से पहले, हम एक बार फिर यह स्पष्ट करते हैं कि आंतरिक शिकायत समिति द्वारा दिनांकित आरोप ज्ञापन के संबंध में, जिसकी जांच दिनांकित रिपोर्ट में समाप्त होती है, याचिकाकर्ता के लिए उचित प्राधिकरण के समक्ष तथ्यों और कानून की सभी दलीलें उठाने के लिए खुला है।इस न्यायालय ने केवल सीमित मुद्दों पर विचार किया है जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा ऊपर बताया गया है।उपरोक्त के अलावा, सभी प्रश्न और मुद्दे दोनों पक्षों के लिए खुले हैं।उपरोक्त टिप्पणियों और स्वतंत्रता के अधीन, रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

बी.

सी.

दिव्या पांडे

लिखित याचिका खारिज की गई।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.